

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं  
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 367/2018  
किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री मदनलाल पुत्र गणेशलाल जोशी, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
	—प्रार्थी			—विपक्षी

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G  
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to  
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2018	<p><b>:: आदेश ::</b></p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम गुढ़ा की आराजी नम्बर 550 में से 0.0045 हेक्टेयर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</p> <p>तहसीलदार माण्डल से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक माण्डल से प्राप्त की गयीं।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम गुढ़ा की आराजी नं० 550 किस्म गै०मु० आवासीय का कुल रकबा 00.00.15 बीघा अर्थात् 94.80 वर्ग मीटर ही हैं। राष्ट्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3D अधिसूचना दिनांक 9/5/2017 से उक्त आराजी में से 50 वर्ग मीटर भूमि पूर्व में प्रकरण संख्या 287/2017 अवाई दिनांक 04/09/2017 से अवाप्त की जा चुकी है। इस प्रकार आराजी नं० 550 में हितबद्धधारी की 0.004480 हेक्टेयर अर्थात् 44.80 वर्ग मीटर भूमि ही शेष हैं। अतः आराजी नं० 550 में से 0.004480 हेक्टेयर अर्थात् 44.80 वर्ग मीटर भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करने के आदेश दिये जाते हैं।</p>	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)  
भीलवाड़ा

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवाँस एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम गुढ़ा)	550
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.004480 हेक्टेयर अर्थात् 44.80 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	गै०मु०आवासीय
4	हितबद्ध खातेदार	श्री मदनलाल पुत्र गणेशलाल जोशी, निवासी माण्डल
5	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति फीट)	420- रुपये
6	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	4519.20- रुपये
7	PWD के अनुसार ग्राम गुढ़ा की शहरी सीमा से स्थित दूरी	6.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	2,02,460- रुपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 00-10 किमी पर देय कारक 1.25 गुणा की दर से राशि	2,53,075- रुपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	Nil
11	योग (9+10)	2,53,075- रुपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	2,53,075- रुपये
13	दिनांक 31.01.2018 से 31.12.2018 तक कुल 334 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	22,231- रुपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13)	5,28,381- रुपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	52,838- रुपये
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	4,75,543- रुपये
अक्षरे - चार लाख पिचेतर हजार पांच सौ तियालीस रुपये मात्र		

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।



(एल०आर० गुणरवाल)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)  
बीलवाड़ा